संख्या-51/2023/480/001-22-4-2023-48-10-2020

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 05 सितंबर, 2023

विषय:-जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में पी0ए0सी0 बल हेतु आवासीय भवन निर्माण की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18060/नम-3, दिनांक-31-05-2023, पत्र संख्या-22634 नम-3, दिनांक 12-07-2023 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-06/2021/969/22-4-2021-48(10)/2020, दिनांक-20.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक-20.01.2021 द्वारा जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में पी0ए0सी0 बल हेतु आवासीय भवन निर्माण कराये जाने हेतु रू0 20.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0 4.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष-2022-23 में प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृत लागत रू0 20.38 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से कुल लागत की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 10.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-110/2022/1356/001/22-4-2022-48(10)2020, दिनांक 21-09-2022 द्वारा निर्गत की गयी। कार्य की स्वीकृत लागत रू0 20.38 लाख के सापेक्ष रू0 14.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष-2023-24 में जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में पी०ए०सी० बल हेतु आवासीय भवन निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत लागत रू0 20.38 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 6.19 लाख (रूपया छः लाख उन्नीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-20.01.2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,19,000 (रुपये छह लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या- 51 /2023/480(1)/001-22-4-2023-48-10-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्ययमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 ।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।